



Meticulous Investigation & Prosecution



BAGHPAT POLICE

चोरी करने के आरोपी दीपक को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ 01 वर्ष 06 माह का कारावास व 1000 रुपये अर्थदण्ड की सजा ।

अवगत कराना है कि वर्ष 2014 में अभियुक्त दीपक पुत्र राजपाल निवासी ग्राम कमाला थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत द्वारा मोटरसाईकिल चोरी करने की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना सिंघावली अहीर पर मु0अ0सं0- 229/2014 धारा 379 भादवि पंजीकृत किया गया था । इस अभियोग में मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 30.04.2024 को मा0 न्यायालय JM जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त दीपक को दोषी पाते हुए 01 वर्ष 06 माह के कारावास व 1000 रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया है ।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है । बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा ।



@baghpatpolice



Baghpat police



baghpatpolice



Meticulous Investigation & Prosecution



BAGHPAT POLICE

मारपीट करने वाले आरोपी सत्यप्रकाश को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ 02 माह का कारावास व 800 रुपये अर्थदण्ड की सजा ।

अवगत कराना है कि वर्ष 2000 में अभियुक्त सत्यप्रकाश पुत्र लालधारी निवासी पुराना कस्बा थाना कोतवाली जनपद बागपत द्वारा मारपीट व जान से मारने की धमकी देने की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0- 367/2000 धारा 323/324/504/506 भादवि पंजीकृत किया गया था । इस अभियोग में मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई । जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 30.04.2024 को मा0 न्यायालय JM जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त सत्यप्रकाश को दोषी पाते हुए धारा 323/324/504/506 भादवि में 02 माह के कारावास व 800 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है । बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा ।



@baghpatpolice



Baghpat police



baghpatpolice



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना खेकडा

दिनांक- 30.04.2024

थाना खेकडा पुलिस ने चैकिंग को दौरान एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से गाजियाबाद से चोरी किये हुए 03 मोबाइल व 01 लेपटॉप बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से जनपद गाजियाबाद से चोरी किए हुए 03 मोबाइल व 01 लेपटॉप बरामद हुआ है ।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकडा पर मु0अ0सं0 134/24 धारा 411/414 भादवि पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

सूरज पुत्र अनंद पाल निवासी संजय नगर थाना बापू धाम गाजियाबाद ।

बरामदगी का विवरण-

- गाजियाबाद से चोरी किये हुए 03 मोबाइल व 01 लेपटॉप ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 नरेशपाल सिंह थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- 2-का0 607 कपिल देव थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- 3- का0 1022 अजय प्रताप थाना खेकडा जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना बिनौली

दिनांक- 30.04.2024

थाना बिनौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 107/24 धारा 452/376/504/506 से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 107/24 धारा 452/376/504/506 भादवि से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

नितिन पुत्र बीरपाल निवासी ग्राम जहानगढ उर्फ दौझा थाना बिनौली जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-निरीक्षक अपराध श्री ओमप्रकाश आर्य थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 2-का0 966 नरेश कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत ।